

No.2/2/2010-Admn.
Government of India
Ministry of Water Resources

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi, the 26th December, 2013

OFFICE ORDER NO.1109/2013

In supercession of Office Order No.809/2013 dated 9th September,2013, the work distribution in respect of charge earlier handled by Shri N.S. Samant, JS(Admn.) would be as under, till further orders :

- (i) General Administration and Administration of Headquarters, CWC to be handled by JS(Admn.)
- (ii) General Establishment to be handled by JS(Admn.)
- (iii) E-Governance issues to be handled by JS(Admn.)
- (iv) GW(Technical) and Parliamentary matters to be continued to be handled by Commissioner (SP).
- (v) The Court cases pertaining to CWC, Administration and CGWB would continue to be put up directly to Secretary (WR) by the concerned Directors.
- (vi) In other aspects, the Office Order No.809/2013 dated 9.9.2013 would continue till further orders.

2. This issues with the approval of Secretary (WR).



(L.P. SHARMA)

UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

TEL. NO. 23738126

E-Mail: usadmn-mowr@nic.in

To

1. All Wing Heads of the Ministry of Water Resources.
2. All Officers/Sections/Units of the Ministry of Water Resources.
3. All Organizations of the Ministry of Water Resources.
4. Cash/General Administration/Vigilance Sections, Ministry of Water Resources.
5. APAR folder.
- ✓ 6. NIC for uploading on the Ministry's website.
7. Hindi Section (for Hindi version via email admn-mowr@nic.in)

Copy to:

1. PS to Minister (WR).
2. Sr.PPS to Secretary (WR)/PS to Joint Secretary(Admn)/PS to JS (PP)/PS to JS&FA(WR)/PS to Comm(SP)/PS to Comm (B&B)/PS to Economic Advisor, Ministry of Water Resources.

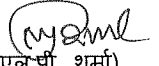
सं. 2/2/2010-प्रशा.
भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, दिनांक 26.12.2013

कार्यालय आदेश सं. 1109/2013

दिनांक 9 सितम्बर, 2013 के कार्यालय आदेश सं. 809/2013 के अधिक्रमण में, श्री एन.एस. सामंत, संयुक्त सचिव (प्रशा.) द्वारा पूर्व में संभाले प्रभार के संबंध में कार्य का वितरण आगामी आदेशों तक निम्नानुसार होगा:-

- (i) सामान्य प्रशासन और मुख्यालय प्रशासन, सी.डब्ल्यू.सी. का कार्य संयुक्त सचिव (प्रशा.) द्वारा संभाला जाएगा।
 - (ii) सामान्य प्रशा. का कार्य संयुक्त सचिव (प्रशा.) द्वारा संभाला जाएगा।
 - (iii) ई-गवर्नेंस के मुद्दे संयुक्त सचिव (प्रशा.) द्वारा संभाला जाएगा।
 - (iv) भूमि जल (तकनीकी) और संसदीय मामले आयुक्त (एसपी) द्वारा देखा जाना जारी रखा जाएगा।
 - (v) सी.डब्ल्यू.सी., प्रशा. और सी.जी.डब्ल्यू.बी. से संबंधित न्यायालय मामले संबंधित निदेशकों द्वारा सचिव (जल संसाधन) को सीधे ही प्रस्तुत किए जाने जारी रखे जाएंगे।
 - (vi) अन्य पहलुओं में आगामी आदेशों तक दिनांक 9.9.2013 के कार्यालय आदेश सं. 809/2013 जारी रहेगा।
2. इसे सचिव (जल संसाधन) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(एल.पी. शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं.- 2373 8126

ई-मेल- usadmn-mowr@nic.in

सेवा में,

1. जल संसाधन मंत्रालय के सभी विंग के मुख्य।
2. जल संसाधन मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग/यूनिट।
3. जल संसाधन मंत्रालय के सभी संगठन।
4. जल संसाधन मंत्रालय के रोकड़/सामान्य प्रशा./सतर्कता अनुभाग।
5. ए.पी.ए.आर. फोल्डर।
- ✓ 6. मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एन.आई.सी.।

प्रतिलिपी:

1. मंत्रालय (जल संसाधन के निजी सचिव)।
2. सचिव (ज.सं.) के सीनियर पी.पी.एस./संयुक्त सचिव (प्रशा.) के निजी सचिव/ संयुक्त सचिव (पीपी) के निजी सचिव, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार (ज.सं.) के निजी सचिव/आयुक्त(एसपी) के निजी सचिव/आयुक्त (बी एण्ड बी) के निजी सचिव, आर्थिक सलाहकार, जल संसाधन मंत्रालय के निजी सचिव।